न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

वहक श्री दामोदर
पुत्र श्री रामेश्वर
जाति महाजन नि. भकरी

मुकदमा नं. 10 / 2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम डीला भकरी खसरा नम्बर 395, 396 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म गै.मु. (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री दामोदर पुत्र श्री रामेश्वर जाति महाजन निवासी भकरी (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा डोल लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस तामिल शुदा शामिल मिसल है, अप्रार्थी उपस्थित हुआ जवाब प्रस्तुत किया जो मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम डीला भकरी ख.न. 395, 396 रकबा 2.43 है. किस्म गै. मु. पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर डोल लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6 रु. प्रति है. की 50 गुणा रूपया 729/- (रूपये सात सौ उन्नतीस रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बाजोर एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। निर्णय की

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

(हस्ताक्षर)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
मा. ... 54
पत्र प्र. ... 729/- ... रु० की
... दर्ज की ...

... (हस्ताक्षर) लेखाकार

Scanned by CamScanner